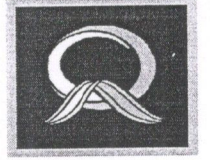




बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०
7, सरदार पटेल मार्ग, पटना-15
CIN-U45201BR1975SG001208



ISO:9001:2015

Reg.no.:1017QFH01

Doc. No:- BRPNL/HQA//.....18.....	Dt 19/02/2022	Page No.../.....
---	---------------	------------------

II. सेवानिवृत्त सहायक का संविदा पर नियोजन से संबंधित सूचना II

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के अधीन सेवानिवृत्त सहायक का 04 (चार) पद पर संविदा के आधार पर बिहार सरकार/बिहार के सरकारी लोक उपक्रम से सेवानिवृत्त कर्मचारी से नीचे अंकित पद पर कोटिवार आरक्षण के अनुसार दिनांक 26.02.2022 (पूर्वाह्न 11:00 बजे) से 27.03.2022 तक (अपराह्न 05:00 बजे) ऑनलाईन (Online) आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र. सं.	पदनाम	विज्ञापित पदों की संख्या	कोटिवार रिक्ति की संख्या			
			अनारक्षित	अनारक्षित (महिला)	अत्यंत पि० वर्ग	अनु० जाति
1.	सहायक	4	1	1	1	1

- मानदेय:-** संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले सेवानिवृत्त पदाधिकारी को मानदेय सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-10000 दिनांक 10.07.2015, पत्रांक 13522 दिनांक 17.11.2021 एवं पत्रांक 1012 दिनांक 27.01.2022 में निहित प्रावधान के अनुसार देय होगा।
- योग्यता:-** किसी पद विशेष से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का चयन उसी पद विशेष अथवा समकक्ष पद के विरुद्ध किया जा सकेगा। उच्च वेतनमान से सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का संविदा पर नियोजन निम्न वेतनमान के पद पर नहीं किया जायेगा।
- आवेदन प्राप्ति के अंतिम तिथि को अभ्यर्थियों का अधिकतम उम्र 63 वर्ष होना चाहिए।
- संविदा के आधार पर चयन प्रथम चरण में 02 वर्षों अथवा उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक होगा तथा अधिकतम उम्र-65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक-एक वर्ष के लिए नियोजन अवधि का विस्तार उनके कार्यों के समीक्षानुसार किया जायेगा।
- चयन प्रक्रिया में चयन हेतु अंको का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 3815 दिनांक 11.03.2016 में संलग्न अनुसूची-1 के अनुसार होगा।
- नियुक्ति के उपरान्त दो माह का परिक्षमाण अवधि होगी। समीक्षोपरान्त कार्य संतोषजनक नहीं रहने पर उनकी संविदा पर नियोजन रद्द कर दी जायेगी। इसके अतिरिक्त इनके कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी एवं कार्य संतोषजनक नहीं होने पर उनकी संविदा पर नियोजन रद्द कर दी जायेगी।
- नियोजन हेतु चयन किये जाते समय उनके सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असेनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
- अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि:-
 - उनके विरुद्ध निगरानी में मामला नहीं चल रहा है।
 - उनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है।
 - उनके विरुद्ध कोई गंभीर आरोप विचाराधीन नहीं है।
 - उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

9. बिहार सरकार/बिहार के लोक उपक्रम की सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारी/पदाधिकारी ही आवेदन देने हेतु योग्य होंगे।
10. नियोजन हेतु सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा। चयन आदर्श रोस्टर के अनुसार होगा जो बिन्दु एक से प्रारम्भ होगा।
11. राज्य के मूलवासी को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा।
12. आवेदन के साथ आरक्षण कोटि के साक्ष्य में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र एवं साक्ष्य के साथ सेवा इतिहास का स्व-अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा, जिसकी मूल प्रति नियोजन के समय इस कार्यालय के सक्षम प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
13. अनुबंध समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित कर्मी का पुनर्नियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा। इसके लिए आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं है।
14. चयन समिति के अनुशंसा के आधार पर चयन कर्मियों को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० द्वारा नियोजित एवं बिहार राज्य में किसी स्थान पर पदस्थापित किया जायेगा।
15. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों/बोर्ड एवं निगम के कर्मियों को केवल आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भौति क्षतिपूर्ति अवकाश अनुमान्य होगा।
16. इस विज्ञापन को बिना कारण बताये किसी भी समय रद्द करने का पूर्णतः अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
17. निर्धारित अवधि में आवेदन एवं डाक्यूमेंट सिर्फ ऑनलाईन के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे। इंटरनेट/नेटवर्क से संबंधित समस्याओं की जिम्मेवारी निगम की नहीं होगी।
18. The Court of Jurisdiction :- Patna, High Court होगी।
19. इस विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना सिर्फ निगम के वेबसाइट brpnnl.bihar.gov.in पर की जायेगी।

ह०/-

प्रबन्ध निदेशक

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०

ज्ञापांक 549

पटना, दिनांक 19/02/2022

प्रतिलिपि:- सचिव (योजना एवं प्रशासन)/सभी उप मुख्य अभियंता/वित्तीय सलाहकार-सह-मुख्य लेखा पदाधिकारी/सभी वरीय परियोजना अभियंता/वरीय योजना अभियंता/वरीय गुण नियंत्रण अभियंता/वेबसाइट प्रभारी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रबन्ध निदेशक

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०

21/02/22
17-02-22